



मंत्रिमण्डल

मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए निदेशकों के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी

Posted On: 12 JUL 2017 2:34PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकट मंगलागिरी, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और महाराष्ट्र के नागपुर में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए 80000 रुपए संशोधन- पूर्व वेतनमान (निर्धारित) और (एनपीए सीलिंग लिमिट 85000 रुपए) में निदेशकों के तीन पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है।

एम्स अधिनियम 1956 में एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, संस्थान का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसे संस्थान के निदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा और संस्थान द्वारा नियुक्ति की जाएगी, बशर्ते संस्थान का पहला निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निदेशक संस्थान के सचिव के रूप में काम करने के साथ ही तीनों एम्स अस्पतालों की नियंत्रण समिति के रूप में काम करेगा और तीनों एम्स अस्पताल की समुचित कार्यप्रणाली और शासन के काम में मदद करेगा।

आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए इन पदों को शीघ्र भरा जाएगा। निदेशक का पद 80000 रुपए संशोधन- पूर्व वेतनमान (निर्धारित) और (एनपीए सीलिंग लिमिट 85000 रुपए) में है। छठे केंद्रीय वेतनमान के अनुसार निदेशक के प्रत्येक पद के लिए लगभग 25 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार होगा।

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के लिए अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चार नए एम्स अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल में 07 अक्टूबर, 2015 को 4949 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकट मंगलागिरी में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में और महाराष्ट्र के नागपुर में नए एम्स अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में एम्स अस्पतालों की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य सस्ती व विश्वसनीय निस्तरतीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार लाना और देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। इस योजना के दो घटक हैं: (1) AIIMS जैसे संस्थान स्थापित करना (2) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थानों का उन्नयन करना। इस योजना के तहत, भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, और पटना में एम्स अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जबकि एम्स रायबरेली कार्य प्रगति पर है। साथ ही, वर्ष 2015 में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में मंगलागिरी में तीन नए एम्स अस्पतालों को मंजूरी दी गई है तथा वर्ष 2016 में भटिंडा और गोरखपुर में दो एम्स अस्पताल भी मंजूर किए गए एवं वर्ष 2017 में असम में भी एम्स अस्पताल को मंजूरी दी गई। नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में मंगलागिरी में तीन नए एम्स अस्पतालों को संचालित करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं को सृजित करने और शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के शासनादेश के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर सभी 3 एम्स अस्पतालों के लिए डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं। इन एम्स अस्पतालों के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। विस्तृत डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव वह विभाग के साथ विचार/ चर्चा के अधीन है।

AKT/AK/SKS

(Release ID: 1495415) Visitor Counter : 14

